

संहिता की खंड 294 के प्रावधानों को पुनर्स्थापित करके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।”

(4) इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि डॉ. गुरमनजीत सिंह, जो निचली अदालत के समक्ष आए थे, लेकिन जब बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि उन्हें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को एक प्रदर्शन के रूप में रिकॉर्ड पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है, तो बिना जांच के वापस कर दिया गया था, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को मृत्यु के कारण के बारे में एक सिद्ध दस्तावेज का प्रमाणिक मूल्य नहीं दे सका क्योंकि मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त या अन्यथा चोट के बारे में जानकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। चिकित्सकीय साक्ष्य के ठोस टुकड़े की अनुपस्थिति में यह प्रतीत होता है कि इस मामले में निचली अदालत का नेतृत्व संभावनाओं द्वारा किया गया था।

(5) घटना 1 जुलाई, 1991 से संबंधित है और अपीलकर्ता 1 अगस्त, 1991 से हिरासत में था और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी वर्तमान अपीलकर्ता को कोई घातक चोट नहीं लगी थी। कथित रूप से कई चोटों का कारण बनने वाले अन्य दो आरोपी घोषित अपराधी हैं जैसा कि ऊपर देखा गया है। इन विषम परिस्थितियों में, निचली अदालत द्वारा दर्ज पाल सिंह की दोषसिद्धि और वह भी भारतीय दंड संहिता की खंड 392 के तहत अपराध के लिए, इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और वह अब विचाराधीन आरोप से बरी हो जाता है। अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।

ओ. के.

माननीय एस. पी. कुर्दकर, सी. जे., एम. एस. लिब्रहान, जी. सी. गर्ग, के. के. श्रीवास्तव और स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति के समक्ष

मेसर्स सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट ली.मी.ट् यमुनानगर, -याचिकाकर्ता।

बनाम

संयुक्त बहिष्कार और कर आयोग (आवेदन) अंबाला और एक और, -उत्तरदाता।

1984 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1325

10 जुलाई, 1995

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973-धारा 9 और 40-केंद्र बिक्री कर अधिनियम, 1956-धारा 9 (2)-पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948-धारा। अनुसूची 'बी' के 4 (बी) और 11-ए और 25-गन्ना-चीनी मिलों द्वारा उत्पादकों से खरीदा गया गन्ना-चीनी की देयता

M/s Saraswathi Industrial Syndicate Ltd. Yamunanagar v. The
Joint Excise and Taxation Commissioner (Appeals) Ambala
and another (M. S. Liberhan, J.) (F.B.)

खरीद कर का भुगतान करने के लिए मिल्स-मैसर्स जगतजीत शुगर मिल्स के मामले में निर्धारित कानून का पालन और निर्देश जारी किए गए।

अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकारों के बीच यह सहमति है कि 7 फरवरी, 1983 का विराम नोटिस, संलग्नक पी-9 को 1973 के अधिनियम की खंड 25 के तहत नोटिस के रूप में माना जाएगा, यदि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। याचिकाकर्ता-कंपनी बिक्री कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन वर्षों 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के लिए विवरणी दाखिल करने के लिए सहमत होती है क्योंकि यह आदेश के 60 दिनों के भीतर था। निर्धारण प्राधिकरण संबंधित समय पर मौजूद कानून के अनुसार खरीद कर और अन्य करों का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी के दायित्व का निर्धारण करेगा। पार्टियों के बीच समझौता है कि रिटर्न 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा और रिटर्न के संबंध में सीमा का कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। मैसर्स जगतजीत शुगर मिल्स मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में निर्धारण प्राधिकरण कानून के तहत कर देयता का फैसला करेगा।

(पैरा 14)

एम. एस. लिब्रहान, जे.

(1) 1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 1325, 1374, 1375, 1376, 1377, 1493, 1502 और 2644 में भौतिक तथ्य काफी हद तक आम हैं। इन रिट याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न को निष्पक्ष रूप से कानून का सामान्य प्रश्न माना जा सकता है। तथ्यगत आधार को 1984 की रिट याचिका संख्या 1325 से लिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता-कंपनी चीनी के निर्माण में लगी हुई है। गन्ना, बर्दाना (टट की बोरियां), अन्य सहायक मशीनरी और सामग्री आदि इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा खरीदे जाते हैं। याचिकाकर्ता-कंपनी हरियाणा जनरल बिक्री कर अधिनियम, 1973 (बाद में 'अधिनियम 1973' के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (बाद में 'केंद्रीय अधिनियम, 1956' के रूप में संदर्भित) के तहत एक पंजीकृत डीलर है। अधिनियम 1973 से पहले, याचिकाकर्ता-कंपनी पंजाब जनरल बिक्री कर अधिनियम, 1948 (बाद में 'अधिनियम 1948' के रूप में संदर्भित) के तहत पंजीकृत थी जैसा कि हरियाणा पर लागू है, जिसमें समय-समय पर हरियाणा राज्य द्वारा किए गए संशोधन शामिल हैं। याचिकाकर्ता-कंपनी ने वर्ष 1971-72 के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया। फलस्वरूप, एक निर्धारण आदेश पारित किया गया। उप आबकारी एवं कर आयुक्त (ए), अंबाला ने याचिकाकर्ता-कंपनी पर अधिनियम 1973 की धारा 40(21) के तहत केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के साथ पढ़ते हुए आक्षेपित नोटिस जारी किया। इस नोटिस में यह देखा गया था:—“जबकि जहां श्री एच.एस. अहुजा, उप आबकारी एवं कर आयुक्त (ए) अंबाला, हरियाणा कर अधिनियम, 1973 की धारा 40(2) के तहत या हरियाणा कर अधिनियम, 1973 की धारा 9(2) के तहत उत्पाद एवं कर आयोग, हरियाणा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेरे प्रस्ताव पर वर्ष 1971-72 के लिए निर्धारण प्राधिकारी, यमुनानगर द्वारा पारित कार्यवाही के रिकॉर्ड को बुलाया गया है ताकि आदेश की

वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट किया जा सके। और जहां मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त आदेश में नीचे उल्लिखित बिंदुओं पर अवैधताएं/अनियमितताएं हैं —

- (i) कि निर्धारण प्राधिकरण ने कर मुक्त वस्तु चीनी के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले गन्ने के खरीद कारोबार पर खंड 9 के तहत कर नहीं लगाने में गलती की।
- (ii) मूल्यांकन वर्ष के दौरान विक्रेता ने स्थिर परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी वाहनों, उपकरणों और उपकरणों आदि का निपटान चैटी के रूप में किया, लेकिन मूल्यांकन प्राधिकरण ने मूल्यांकन तैयार करते समय विक्रेता के कारोबार में इसकी बिक्री आय को शामिल नहीं किया।
- (iii) व्यापारी ने अपने आर. सी. के बल पर अवैध रूप से बरदाना खरीदा और चीनी की पैकिंग के लिए उसी का उपयोग किया, मूल्यांकन प्राधिकरण हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की खंड 50 के तहत जुर्माना लगाने में विफल रहा।

(3) प्रत्यर्थी ने सरकार द्वारा सौंपी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन आदेश को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया। इसने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया-विवादित नोटिस के माध्यम से।

(4) इस स्तर पर यह ध्यान देना समीचीन होगा कि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की खंड 4-बी और 11-ए हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की खंड 9 और 40 का पर्याय है।

(5) याचिकाकर्ता-कंपनी ने नोटिस का जवाब दिया और रिट याचिका में उठाए गए आधारों के अनुरूप रुख अपनाया, अर्थात् गन्ना एक कृषि उत्पाद है जो उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है आदि। 1948 के अधिनियम के अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 25 में शामिल है, परिणामस्वरूप, 1948 के अधिनियम की धारा 4-बी के तहत कोई खरीद कर देय नहीं था, जो 1973 के अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने मालवा शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम द एसेसिंग अथॉरिटी (1) के मामले पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता पर 1948 के अधिनियम की धारा 5(2) उपधारा (ii) की लागू होने से इनकार कर दिया गया था। यह दावा किया गया था कि बर्दाना पर कर देयता एक बार अधिकारियों द्वारा तय होने के बाद फिर से नहीं जा सकती है। इस मामले को फिर से खोलने के लिए पांच साल की सीमा अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए कोई नया निर्धारण नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड का पता नहीं चल पा रहा है। याचिकाकर्ता ने आगे यह जानना चाहा कि किस सामग्री के आधार पर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे। यह भी कहा गया था कि यह चीनी की बिक्री का मामला है, न कि बर्दाना का। विवादित नोटिस छूटे हुए टर्नओवर के पुनर्मूल्यांकन के समान है, जो निर्धारण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, न कि संशोधन प्राधिकरण के।

(6) याचिकाकर्ता-कंपनी ने पूर्व सूचना याचिका को संक्षिप्त रूप से इस आधार पर दायर

M/s Saraswai Industrial Syndicate Ltd. Yamunanagar v. The Joint Excise and Taxation Commissioner (Appeals) Ambala and another (M. S. Liberhan, J.) (F.B.)

किया कि-संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) एक बार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के बाद, निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए आदेश को फिर से नहीं खोल सकता है; गन्ने पर खरीद कर का उद्ग्रहण 1948 के अधिनियम की खंड 4-बी के तहत निर्धारित किया गया है, जो 1973 के अधिनियम की खंड 9 से मेल खाता है, जिसके आधार पर वर्तमान नोटिस जारी किया गया है और जिसकी वैधता इस न्यायालय के विचाराधीन है; खरीद कर केवल तभी लागू होता है जब विक्रेता अधिनियम की अनुसूची 'बी' में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सामान खरीदता है। अधिनियम की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि संख्या 25 में उल्लिखित है, इसलिए कोई खरीद कर नहीं लगाया जा सकता है। संबंधित वर्ष के दौरान निर्धारण से बचने के कारण, खंड 49 (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण प्राधिकरण 1973 के अधिनियम की खंड 31 के तहत कार्रवाई करने के लिए पांच साल की सीमा समाप्त होने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। गन्ने पर कोई खरीद कर नहीं लगाया जाता है क्योंकि यह एक कर मुक्त वस्तु है, जैसा कि उत्पादकों या उनके परिवार के सदस्यों से खरीदा गया है। पुनरीक्षण प्राधिकरण एक बार अधिनियम की खंड 40 (1) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के बाद भी मामले को बार-बार नहीं खोल सका।

(1) 38 एसटीसी 39.

(7) इक समानय नोटिस को मेसर्स जगतजीत सुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (1979 का सी. डब्ल्यू. पी. 382),-द्वारा चुनौती दी गई थी जिसमें पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की खंड 4-बी के तहत खंड 6 अनुसूची 'बी' के साथ पठित नोटिस जारी किया गया था, को मोटे तौर पर इसी आधार पर आरोपित किया गया था। 1984 की सिविल रिट याचिका 661 में मेसर्स मोरिंडा को. ऑपरेटिव सुगर मिल्स छिपगई। व. रोपर आदि का आकलन करने वाले प्राधिकरण ने खुद उत्पादकों द्वारा बेचे जाने वाले गन्ने पर खरीद कर लगाने के मूल्यांकन के आदेश को चुनौती दी।

निम्नलिखित प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए पाँच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ को भेजा गया:—

- (1) क्या इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले ने मालवा सुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आकलन प्राधिकरण, (1976) 38 एस. टी. सी. 39, जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि पंजाब सामान्य बिक्री कर, अधिनियम की खंड 4-बी, जो 15 नवंबर, 1972 से प्रभावी हो गई थी, में गन्ना की खरीद पर खरीद कर लगाने की परिकल्पना नहीं की गई थी, जिसे उत्पादकों द्वारा या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बेचा गया था, जिसकी पुष्टि 1976 की एल. पी. ए. संख्या 42 में लेटर्स पेटेन्ट बेंच द्वारा की गई थी और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1977 की एस. एल. पी. संख्या 2000 में भी की गई थी-2 सितंबर, 1977 के आदेश के अनुसार देश राज परशोतम लाई बनाम पंजाब राज्य (1978) 42 एस. टी. सी.

429 में रिपोर्ट की गई इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा खारिज किया जा सकता है?

(11) क्या पूर्ण पीठ ने गलती से एकल पीठ के फैसले को बाबू राम जगदीश कुमार एंड कंपनी बनाम खण्ड पीठ के फैसले के अनुपात के विपरीत माना। पंजाब राज्य (1976) 38 एस. टी. सी 259?

(8) यह माना गया था कि पूर्ण पीठ एक अन्य समान पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून की शुद्धता को निर्देशित नहीं कर सकती है, इसलिए याचिका पर पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

(9) याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न मेसर्स मोरिंडा को-ऑप में उठाए गए प्रश्नों द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हैं। ऊपर संदर्भित शुगर मिल्स का मामला। नतीजतन, उक्त रिट याचिका के साथ मामले की जांच की जाए। यह ऊपर जुटाए गए तथ्यों और परिस्थितियों में है कि इन याचिकाओं को हमारे सामने सुनवाई के लिए लाया जाना है।

(10) तर्क के दौरान विचार के लिए प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों और लिखित प्रस्तुतियों के रूप में रखे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:—

(i) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की खंड 6 (1), 2 (पी) और 27 (1) (ए) (आई) (हरियाणा अधिनियम, 1973) जो 27 मई, 1971 से प्रभावी है, ने पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है, अर्थात् खंड 4 (1) और 5 (2) 27 मई, 1971 से प्रभावी है और इसलिए, चाहे वह हो या न हो।

(ii) आक्षेपित सूचना का उद्देश्य मूल्यांकन को पुनर्जीवित करना और उस अवधि के दौरान गन्ने की खरीद के संबंध में याचिकाकर्ता के कर योग्य कारोबार को इसमें शामिल करना है, जो अधिनियम की खंड 27 (1) (ए) (1) के कारण याचिकाकर्ताओं के कारोबार से बाहर होने के लिए बाध्य है।

(iii) हरियाणा अधिनियम, 1 और 73 की खंड 40 के तहत आगे के नोटिस रिट कार्यवाही में रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और यह मामला पंजाब के मामलों के विपरीत बिक्री कर प्राधिकरणों को भेजे जाने वाला एक मामला नहीं है, क्योंकि ये 'आकलन अभी किया जाना बाकी है', क्योंकि पुनरीक्षण प्राधिकरण पहले ही रिट याचिकाओं के जवाब में दायर अपने जवाबी शपथ पत्र में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपनी राय व्यक्त कर चुका है, परिणामस्वरूप रिमांड केवल एक औपचारिकता होगी।

(iv) अधिनियम की खंड 40 के तहत नोटिस, वास्तव में 'बच गए कारोबार' का

M/s Saraswaii Industrial Syndicate Ltd. Yamunanagar v. The
Joint Excise and Taxation Commissioner (Appeals) Ambala
and another (M. S. Liberhan, J.) (F.B.)

पुनर्मूल्यांकन करने की मांग कर रहे हैं जो पुनरीक्षण प्राधिकरण करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा कोई कार्यात्मक आधार नहीं है जिसके आधार पर आयुक्त अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकें। न तो मूल्यांकन आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता है और न ही किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रासंगिक समय में गन्ना अनुसूची 'बी' आइटम होने के कारण कोई खरीद कर देय नहीं था 11 मूल्यांकन आदेश को फिर से खोलने के लिए स्वतः कार्रवाई करने के लिए फाइल पर कोई सामग्री नहीं है।

(11) इससे पहले कि मामला विभिन्न कार्यवाहियों के अनुक्रम के रूप में हमारे समक्ष विचार के लिए आया, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का फैसला किया-मैसर्स जगतजीत शुगर मिल्स आदि बनाम पंजाब राज्य और दूसरे (2) में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले में, जिसमें उठाए गए प्रश्न थे:—

(1) क्या याचिकाकर्ता-चीनी मिल गन्ने के उत्पादकों से खरीदे गए गन्ने पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

(11) वह कौन सा प्रावधान है जो खरीद कर लगाता है?

(2) जे. टी. 1994 (6) एस. सी. 534

(क) क्या केवल अनुसूची (ग) में उल्लिखित वस्तुएं ही खरीद कर के अधीन हैं?

(iv) खंड 4 (1) अधिनियम की खंड यू के तहत विशेष रूप से कर मुक्त घोषित वस्तुओं में लेनदेन करने वाले व्यापारी को छूट क्यों देती है?

(12) इन सभी प्रश्नों का उत्तर उक्त निर्णय में दिया गया है।

(13) कुछ समय के लिए न्यायालय को संबोधित करने के बाद पार्टियों के वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उठाए गए प्रश्नों को इतने जटिल तथ्यों या विसंगतियों के साथ लेबल किया गया है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।

(14) ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए पक्षों के बीच इस बात पर सहमति है कि 7 फरवरी, 1983 के संलग्नक पी-9 को 1973 के अधिनियम की खंड 25 के तहत नोटिस के रूप में माना जाए, जैसे कि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो। याचिकाकर्ता-कंपनी बिक्री कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन वर्षों 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के लिए विवरणी दाखिल करने के लिए सहमत होती है क्योंकि यह आदेश के 60 दिनों के भीतर था। पार्टियों के बीच आगे समझौता है कि रिटर्न 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा और रिटर्न के संबंध में सीमा का कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। मूल्यांकन प्राधिकरण मैसर्स जगतजीत शुगर मिल्स मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में कानून के तहत कर देयता का फैसला करेगा।

(15) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए इन रिट याचिकाओं में कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूछे गए प्रश्नों को विद्या सम्बन्धी रूप दिया गया है। सभी विवादों को खुला रखा जाता है। मूल्यांकन प्राधिकरण को इन मामलों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर याचिकाकर्ता किसी भी निर्देश के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

M/s Saraswaii Industrial Syndicate Ltd. Yamunanagar v. The
Joint Excise and Taxation Commissioner (Appeals) Ambala
and another (M. S. Liberhan, J.) (F.B.)

ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वरुण बंसल,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा